पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 282/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 11.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01.थाना- अहरौला: पशु चोरी के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 23/08/2024 को वादिनी मुकदमा सर्मिला यादव पत्नी सर्वेस यादव ग्राम हांसापुर (खुर्द) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी की भैस दरवाजा पर बंधी थी भैस को अज्ञात 03 व्यक्तियो द्वारा चुराकर ले जाते की नियत से लेकर जाने लगे जब आवेदिका द्वारा देखा लिया गया तो भैस छोडकर भाग गये, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.09.2024 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त समीम अहमद पुत्र मकबुल उम्र 30 वर्ष निवासी रेडहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को रेडहा मंदिर से 200 मीटर आगे के पास से समय 10.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02. थाना- रौनापार: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - अवगत कराना है कि दिनांक 26.06.24 को वादी मुकदमा थाना रौनापार आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 24.06.2024 को समय करीब 21.30 बजे वादी की पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष को प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र अज्ञात सा0 खालिसपुर (सिंघवड़ा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फूललाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/24 धारा 363/366 भादवि बनाम मुकेश कुमार पुत्र अज्ञात सा0 खालिसपुर (सिंघवड़ा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 उमाशंकर द्वारा की जा रही थी कि दौराने विवेचना पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ग्राम देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी दि0- 10.09.2024 की हुई।

➡गिरफ्तारी अभियुक्त व पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ग्राम देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि0- मुकेश कुमार पुत्र अज्ञात सा0 खालिसपुर (सिंघवड़ा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत की गई तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त कन्हैया यादव उपरोक्त को जुर्म धारा 363,366,376(3) भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 10.09.2024 को उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ग्राम देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को इस्माईलपुर ढाला से समय करीब 15.45 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03. सर्किल सदर आजमगढ़ में विशेष अभियान के तहत कुल 59 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तारी का विवरण:-

अवगत कराना है कि **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत चलाये जा रहे विशेष अभियान वांछित/वारंटी/जुआड़ी/शराबी/एनबीडब्लू एंव शराब ठेकों पर एंव आस पास के क्षेत्रों में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले व्यक्तियों के गिरफ्तारी हेतु दिनांक 08/09.09.2024 को स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ शुभम अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में सर्किल सदर आजमगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाले थानों द्वारा टीम गठित कर दबिश देकर एंव सघन चेकिंग अभियान चलाकर कुल 59 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें थाना गम्भीरपुर से कुल 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 04 अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध शराब बरामदगी के आधार पर 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 12 अभियुक्तों का चालान अन्तर्गत धारा 292 बीएनएसएस एंव 12 अभियुक्तों का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान किया गया तथा गैंगस्टर के मुकदमें में वांछित 01 नफर अभियुक्त एंव एनबीडब्लू से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु मा.न्यायालय भेजा गया। थाना जहानागंज में कुल 07 अभियुक्तों को गिफ्तार किया गया अवैध शराब बरामदगी के आधार पर 04 अभियुक्तों के विरुद्ध 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग एंव 03 अभियुक्तों के विरुद्ध जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना निजामाबाद से कुल 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया अवैध शराब बरामदगी के आधार सभी के विरुद्ध 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना मुबारकपुर से कुल 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिसमें 03 व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध शराब बरामदगी के आधार पर 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 12 व्यक्तियों का चालान अन्तर्गत धारा 510 बीएनएसएस में चालान किया गया। इस प्रकार सर्किल सदर आजमगढ़ में चलाये गये विशेष अभियान में कुल 59 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1.थानाध्यक्ष थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह फोर्स

2.थानाध्यक्ष मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह फोर्स

3.थानाध्यक्ष जहानागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह फोर्स

4.थानाध्यक्ष निजामाबाद जनपद आजमगढ़ मय हमराह फोर्स